

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कार्यालय आदेश

क्रमांक 3599

दिनांक :- 12/9/23

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक स्था0/2023/29350 दिनांक 11.09.2023 की अनुपालना में पुलिस थाना माढण के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर (ए0सी0जे0एम0 न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय की विशेष अधिकारिता को छोड़कर) संबंधित फौजदारी प्रकरण, वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, से संबंधित प्रकरणों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अधिकारिता को छोड़कर) के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 में माढण थाने का कार्य व्यवस्था को सुचारु सुगमता से संपादित करने हेतु आंशिक संशोधन करते हुए न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना का क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँ।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

इस कार्यालय के शेष आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 व 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेगे।

sd/-

(अजीत कुड़ी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)

क्रमांक :- 3600 - 3607

दिनांक :- 12/9/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. संबंधित न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना,
4. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/भिवाडी
5. संबंधित पुलिस थाना माढण
6. संबंधित बार एसोसियेशन नीमराणा
- ✓ 7. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)
8. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

(अजीत कुड़ी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

अलवर (राज0)